

59 अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय गंहगाई भत्ता

न्यूलाम गणपूरी अजीनियम, 1948 के अनुग्रह राजाज्ञा संख्या 401/36-3-08-7-(यू दे०) / 04 दिनांक 24.02.2006 से मजदूरी की मूल दरें एवं परिवर्तनीय गंहगाई गते का नियरिंग किया गया है। मजदूरी दरें मासिक अभार पर लिकाली गई हैं, जिसकी ऐनिक दर मूल मजदूरी और परिवर्तनीय गंहगाई भत्ते के बीच के 1/20 से कम न होती। उक्त दे अनुक्रम में निम्नांकित 56 नियोजित श्रियोकों को अधिक आवश्यक उपभोक्ता (एच. सूखकांक आवार 102-100 के 522 अंकों के इष्ट तथा जुलाई 2009 से दिसंबर, 2009 के औसत 762 (साल भी बाहर नहीं) पर दिनांक 01.04.2010 से दिनांक 30.09.2010 तक रक्षा जनवरी 2010 से जून, 2010 के औसत 793 (साल भी बाहर नहीं) पर दिनांक 01.10. 2010 से दिनांक 31.03.2011 तक परिवर्तनीय गंहगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टिकोण की भाँति गणना करके देय है –

दृष्टिकोण – १ 2600.00 प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अक्षुशल श्रेणी के कर्मचारियों वाले औसत सूखकांक 753 पर दिनांक 01.10.2010 से दिनांक 31.03.2011 तक देय परिवर्तनीय गंहगाई भत्ता निम्नलिखित होगा ।

(793-522)

$\frac{X}{2600} = 90.1349.81$ प्रतिमाह

522

विशिष्ट श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रति माह परिवर्तनीय गंहगाई भत्ते की दरे निम्नवत है –

क्र.	श्रेणी	प्रतिमाह		प्रतिमाह परिवर्तनीय गंहगाई भत्ता ऊपर्युक्त में	
		मजदूरी रु. 0 में	दिन 01.04.2010 से दिन 30.09.2010 तक	दिन 01.10.2010 से दिन 31.03.2011 तक	
1	2	3	4	5	
1	अनुशंसित	2600.00	1195.40	1344.81	
2	अनुकूल	2984.00	1382.75	1533.78	
3	कुशल	3290.00	1512.64	1708.03	

नियोजनों के नाम :-

1. रबर वी विनियोगशाला और रबर उत्पाद (उधर और उपर तकिया) के उद्योग
2. प्लास्टिक उत्पाद और लाइटिक उत्पाद के उद्योग
3. नियान उद्योग
4. नासित पेय (रेटेड ड्रिंक्स) के विनियोग
5. फलों के साथी की विनियोगशाला
6. फ्रिंटार लकड़ी (लाईकुड) के उद्योग
7. पेट्रोल और गैजल आयल पाप
8. बैरी और मिलक छंटी
9. रिले शिलायें कपड़ों की विनियोगशाला
10. बौद्ध तटबन्ध के विनियोग और जनुरक्षण, शिंवरी परियोजनाओं कुओं और तालाबों की सुदाई
11. उन जामस्त राजिमट्रीकृत कारखानों में नियोजन, जिनका उल्लेख पाठ्ये नहीं किया गया है।
12. प्राइवेट कंपनियों और प्राइवेट लाइटरी राज्यान की तुकड़ों
13. बलाई घर
14. धातु उद्योग
15. दिन लेट रोपिंग और दिन ट्रिटिंग
16. ऐसे जनियन्त्रण उद्योग जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हो ।
17. चर्च शिक्षनकाला और दर्म विनियोग शाला
18. चर्च वर्स्यु विनियोग उद्योग
19. होमजारी राज्यान
20. निजी पुस्तकालय
21. काल्ड राफरी और फॉर्मर उद्योग
22. प्राइवेट कॉर्पोरेशन क्षेत्री प्राइवेट विद्यालयों, जिनमें नदीरी रक्तूल और निजी प्राविधिक संस्थाएं भी सम्भित हैं।
23. हम्बाकू विनियोग
24. धग्गाला
25. बाणियों (कारेट्टी) लद्दा कराने और काढ़ कराने, जिसके अन्तर्गत निसी अन्य वन उपज का बरताण और उसे गण्डी में ले जाना भी है।
26. दुकान
27. वाणिय अधिकार
28. चावल गिल, आटा गिल या दल गिल

A.L.C. (अ) किंवद्दन
Date : 25-5-16

(A.C.B.)

29. टोल पिल
 30. लोक गोटर परिवहन
 31. यांत्रिक परेवहन कमेशाला
 32. आटोमोबाइल रिपेयरी कमेशाला
 33. सड़कों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने या निर्माण संक्रियाओं
 34. परधर तोड़ने या परधर कूटने
 35. दियासलाई उद्योग
 36. आइसकॉफी / आइसक्रीम दिनिमाणशाला
 37. बर्फ विनिर्माणशाला
 38. एस्टेट्स सौपोर्ट चारसार्स और अन्य सीमेंट उत्पाद विनिर्माणशाला
 39. लघुओं और मुलाई अणिष्टान
 40. बैकरी और विस्क्युट विनिर्माणशाला
 41. फिल्म के कार्ट
 42. जिवल्स जी
 43. कोल्ड स्टोरा
 44. पाठशी, सिरेशिक्स या रिफैक्ट्रीज
 45. निजी मुद्रणालय
 46. सिनेमा उद्योग
 47. कपड़ा छपाई
 48. चिजाई उद्योग
 49. एलोचिक, आयुर्वेदिक, यूनाई फार्मसी
 50. फलब
 51. हथकरघा (सिल्क की राझी की बुनाई) जारी के कार्य
 52. कपड़ा धोने या प्रसाधन की साबुन या सिलिकेट या साबुन का चूपे या प्रक्षालक विनिर्माण
 53. कूंकुं कबाल बनाने ले अधिकार
 54. खाड़सारी
 55. हथकरघा उद्योग
 56. शक्ति प्राणित करवा उद्योग
 57. छोटा (१ नेपाली) बच्चे एवं कीच उत्पादों ले निर्माण
 58. कागज, ग्रन्ति और बैरर बोर्ड उद्योग
 59. ईट भव्या उत्पाद

(विनोद शंकर मिश्र)
 उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश
 कृते अग्रायुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी०टी० रोड, कानपुर।
 पत्र संख्या— 229० - 231। / प्रवर्तन-10(भ०भत्ता) दिनांक २४.९.२०१०

प्रतिलिपि निर्मित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु देखित ।

1. समसा क्षेत्रीय अपर/उप श्रम ३। युक्त, च०प्र० को इरा आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ को अवगत कराये तथा अनिको सेयार्योजको व उनके प्रतिनिधियों द्वारा गांगे जाने पर उपलब्ध करायें।
2. अनुसाधिव उ०प्र० शासन अग अनुशास-३, बापू भवन, लक्षणगढ़।
3. प्रबार अधिकारी को निशुल्क प्रकाशनार्थ ।
4. उप अग्रायुक्त, (नजारत) को नोटिस बोर्ड पर वरपा करने हेतु।
5. उप अग्रायुक्त, (आई०आ०), गुरुवालय।
6. उप अग्रायुक्त, (कम्प्यूटर), नुस्खालग को विभागीय बैब साइट पर अपलोड कराने हेतु।

(विनोद शंकर मिश्र)
 उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश
 कृते अग्रायुक्त, उत्तर प्रदेश।

Scanned by
 ५११७।०